14/2026/ आई/1517933/2026

प्रेषक,

आलोक कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ,उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयकर-टीडीएस बकायों का भुगतान न किये जाने एवं टीडीएस सम्बन्धी सही विवरणी दाखिल न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयकर आयुक्त (टीडीएस) प्रत्यक्ष कर भवन,लखनऊ द्वारा मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 05.10.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 के तहत टीडीएस का निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार के खाते में भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा टीडीएस कटौती में कमी, U/S 201(1A) के तहत बढते हुए ब्याज और प्रपत्र 24Q/26Q दाखिल करने में विलम्ब के कारण अत्यधिक टीडीएस बकाया की स्थिति उत्पन्न हुई है ।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बकाया टीडीएस के भुगतान एवं त्रैमासिक विवरणी (24Q/26Q) को समय से दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बकाया देय टीडीएस का भुगतान अविलम्ब कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयकर आयुक्त (टीडीएस) प्रत्यक्ष कर भवन,लखनऊ का पत्र संख्या-40177/MS/GI/2026, दिनांक 05.10.2026 के सन्दर्भ में।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय , उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
विवेक त्रिपाठी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in